न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2025/111

शरीफ खान उर्फ राजू पुत्र इकबाल खान जाति मुसलमान निवासी मुर्गीफार्म कुराड तहसील कनवास जिला कोटा हाल निवास कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा

–अपीलांट

बनाम

1. गणेशलाल पुत्र मांगीलाल जाति माली
2. जितेन्द्र पुत्र मांगीलाल जाति माली
3. नेमीचन्द पुत्र मांगीलाल जाति माली
   निवासीगण ग्राम कुराड तहसील कनवास जिला कोटा राज0
4. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील कनवास जिला कोटा

––रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहसः– 1.श्री जगदीश नन्दवाना, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 08.09.2025

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कनवास जिला कोटा के प्रकरण संख्या 44/2024 (2024/160) में पारित निर्णय दिनांक 22.04.2025 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण की अन्य सहखातेदारान के साथ संयुक्त खाते व कब्जे की अन्य खसरा नम्बरान की भूमि के साथ साथ खसरा न0 1207 की 0.19 हेक्टर, व खसरा न0 1205 की 0.30 हेक्टर, कृषि भूमि ग्राम कुराड पटवार हल्का कुराड तहसील कनवास जिला कोटा में स्थित है, उक्त कृषि भूमि के समीप अप्रार्थीन 01 के खाते व कब्जे की खसरा न0 1210 की 0.24 हेक्टर कृषि भूमि स्थित है, जो कि मौके पर उत्तर से दक्षिण लम्बाई मे स्थित है, खसरा न० 1210 की कृषि भूमि के सटवा खसरा न0 1063, खसरा न० 1063/1870 की भूमि स्थित हे, जिसमे डामर रोड बना हुआ है। प्रार्थीगण हमेशा से अपने

खसरा न0 1209 की 0.19 हेक्टर व खसरा न० 1205 की 0.30 हेक्टर भूमि मे उक्त कृषि भूमियो के पश्चिमी तरफ स्थित अप्रार्थी न0 1 के खाते व कब्जे की खसरा न0 1210 की 0. 24 हेक्टर भूमि मे उत्तरी मेड की तरफ 70 फुट पूरब से पश्चिम लम्बाई व 15 फुट उत्तर से दक्षिण चौडाई की भूमि को रास्ते के रूप मे कई वर्षों से उपयोग उपभोग करते आये है, प्रार्थीगण खसरा न0 1063, 1063/1870 मे बने डामर रोड से होते हुए खसरा न0 1210 की भूमि मे उत्तरी मेड की तरफ स्थित उक्त रास्ते का खसरा न0 1209 व खसरा न० 1205 की भूमि में पहुंचने के लिए लगातार खुले रूपमे शांति पूर्वक सुखाधिकार के रूप में उपयोग उपभोग करते आ रहे है। पिछले 1–2 माह से अप्रार्थी कम 1 प्रार्थीगण को उनके खेत पर आने जाने के लिए खसरा न0 1210 की उत्तरी मेड पर स्थित भूमि को रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग मे मना करने लगे है, जिसकी वजह से प्रार्थीगण को उनके स्वयं के खाते व कब्जे की कृषि भूमियो के उपयोग उपभोग मे बाधा आने लगी है, तथा उक्त रास्ता बाधित होने की स्थिति मे प्रार्थीगण के पास उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नही है। प्रार्थीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251क के प्रावधानो के अनुसार खसरा न० 1210 की 0.24 हेक्टर भूमि उत्तरी मेड के समीप पूरब से पश्चिम 70 फुट लम्बाई व उत्तर से दक्षिण 15 फुट चौडाई के रास्ते मे आने वाली भूमि की प्रतिकर राशि भी अप्रार्थीन01 को अदा करने को तत्पर है, यदि अप्रार्थी प्रतिकर राशि न लेना चाहे, तो प्रार्थीगण रास्ते की जमीन की एवज मे जमीन भी देने को तत्पर है, किन्तु अप्रार्थी न0 1 फिर भी उक्त रास्ते की भूमि को बाधित करने पर आमादा है, यदि अप्रार्थीन 01 अपने कृत्य मे सफल हो गया, तो प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि का भली प्रकार उपयोग उपभोग नहीं कर पायेगे, जिससे प्रार्थीगण को अपरिमित क्षति होगी, जिसकी पूर्ति भविष्य में भी नही हो पायेगी। प्रार्थीगण के पास उनकी स्वयं कीभूमि मे आने जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता कभी भी मौजूद नही रहा है, प्रार्थीगण को उक्त रास्ते की महति आवश्यकता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण के पक्ष में व अप्रार्थीगण के विरूद्ध निम्न आशय की आज्ञा पारित फरमायी जाये कि :– (अ). यह कि ग्राम कुराड पटवार क्षेत्र कुराड तहसील कनवास जिला कोटा मे प्रार्थीगण की अन्य सहखातेदारान के साथ संयुक्त खाते व कब्जे की खसरा न० 1209 की 0.19 हेक्टर, खसरा न0 1205 की 0.30 हेक्टर, कृषि भूमि में पहुंचने के लिए ग्राम कुराड पटवार क्षेत्र कुराड तहसील कनवास मे स्थित अप्रार्थी कम के खाते व कब्जे की खसरा न0 1210 की 0.24 हेक्टर भूमि मे उत्तरी मेड के समीप पूर्व पश्चिम ० फुट लम्बाई व उत्तर से दक्षिण 15 फुट चौडाई की भूमि को गैर मुमकिन रास्ता घोषित किया जाकर उक्त भूमि को राजकीय खाते मे दर्ज की जावे, तथा उक्त रास्ते की भूमि की प्रतिकर राशि जो भी विधि के अनुरूप बनती है, को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण से प्राप्त करने हेतु अप्रार्थी कम 1 को आदेशित किया जावे। (ब). यह कि उक्त प्रार्थना पत्र के निस्तारण तक अप्रार्थी कम 1 को पाबन्द किया जावे, कि वे प्रार्थीगण को उक्त रास्ते की भूमि के उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार से बाधा पहुंचाने का प्रयास नही करे। (स). यह कि अन्य न्यायोचित सहायता जो भी सम्मानीय न्यायालय उचित समझे, दिलायी जावे।

3. उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 22.04.2025 के द्वारा प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण की खातेदारी की भूमि में आने जाने हेतु रास्ता व अपीलांट की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1210 में कायम किए जाने का निर्णय पारित किया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.04.2025 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.04.2025 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.04.2025 निरस्त किया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि हुक्म जेर अपील कानून न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.04.2025 आर्बोट्रेरी, केप्रीसियस तथा परवर्ष है तथा कानून के सर्वमान्य सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है तथा बिना क्षेत्राधिकार के है। रेस्पोन्टगण के प्रार्थना पत्र जिसमें खसरा नं0 1209 व 1205 की भूमि के पश्चिम की तरफ अपीलान्ट की भूमि खसरा न० 1210 के उत्तरी मेढ पर 15 फिट चौडे रास्ते का उपयोग कई वर्षों से करने पर भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने 251 (क) का प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल मानने में भारी त्रुटि की है जबकि चालू रास्ते के संबंध में अवरोध करने पर धारा 251 में तहसीलदार जी को सुनवाई का अधिकार है जिससे आदेश अवैध व शून्य है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट् के प्रार्थना पत्र मे पुराना रास्ता बताने पर भी तथा तहसील रिपोर्ट में पहले का रास्ता बताने पर भी नया रास्ता कायम करने का आदेश देने में भारी त्रुटि की हैं इसी प्रकार 1205 व 1209 की उत्तरी मेड से लगी हुई खसरा नं0 1212 गैर मुमकिन रास्ते की भूमि से रास्ता उपलब्ध है तथा जब रास्ता उपलब्ध है तो रास्ता कायम नही किया जा सकता है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार की रिपोर्ट पर बिना विचार किये निर्णय दिया है जबकि तहसीलदार की मौके की रिपोर्ट मे स्पष्ट है कि खसरा नं0 1209 की उत्तरी मेड पर पूर्वी ओर खाली 1212 की भूमि गैर मुमकिन सरकारी रास्ते की भूमि है तथा मंदिर द्वारा खसरा नं0 1212 की भूमि मे अतिक्रमण कर बनाई गई दीवार के बाद भी खाली भूमि रास्ते की है जो मंदिर की बाउण्ड्री के बाहर है जो सरकारी

रास्ता है। जिसका उपयोग रेस्पोडेन्टगण कर रहे है तथा आगे भी कर सकते है। अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नं0 1205 व 1209 के खातेदारी मे से केवल मात्र तीन रेस्पोडेन्ट्स के प्रार्थना पत्र पर शेष खातेदारो को बिना पक्षकार बनाये उक्त निर्णय दिया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के खेत पर कोई रास्ता उपलब्ध नही होने पर ही धारा 251 (क) में नया रास्ता दिया जा सकता है क्योकि रास्ता उपलब्ध होने तथा उस पर अवरोध करने पर धारा 251 में तहसीलदार जी को अधिकार है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपीलान्ट की आपत्ति पर बिना विचार किये निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.04.2025 निरस्त किए जाने एंव प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए खारिज किये जाने का निवेदन किया तथा विकल्प में प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए जाने तथा विवादित रास्ते की रिपोर्ट पुनः अपीलांट की उपस्थिति में नियमानुसार तैयार किए जाने के निर्देशों के साथ प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किए जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने जो रास्ता अपीलांट की भूमि में कायम किया है वह रास्ता प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट की खातेदारी की भूमि में आने–जाने हेतु एकमात्र रास्ता है। इसके अलावा कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण की भूमि में आने जाने हेतु मौके पर विद्यमान नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत रास्ते के संबंध में रिपोर्ट तलब की गई है। तहसीलदार कनवास द्वारा विवादित रास्ते की रिपोर्ट दिनांक 29.08.2024 विधिवत रूप से तैयार करवाई जाकर अपने पत्र कमांक 1933 दिनांक 06.11.2024 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रेषित की गई है। उक्त मोका रिपोर्ट दिनांक 29.08.2024 पर अपीलांट अप्रार्थी द्वारा आपत्ति प्रकट की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित रास्ते की मोका रिपोर्ट पुनः तलब की गई जिसकी पालना में दिनांक 26.03.2025 को पुनः मोका रिपोर्ट तैयार की जाकर तहसीलदार कनवास के पत्र कमांक 410 दिनांक 27.03.2025 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रेषित की गई। प्रश्नगत रास्ते का मोका पर्चा दिनांक 27.03.2025 को पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा विधिवत रूप से तैयार की गई । उक्त मोका पर्चा में भी प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण की भूमि में आने जाने हेतु रास्ता अपीलांट की भूमि में होने का अंकन है। उक्त मोका रिपोर्ट दिनांक 27.03.2025 पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा विधि अनुसार तैयार की गई है, जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत रास्ता अपीलांट की भूमि में कायम किये जाने का निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत है। प्रश्नगत रास्ता प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण की आत्यांतिक आवश्यकता का रास्ता है। दिनांक 26.03.2025 को उक्त मोका रिपोर्ट तैयार किए जाने के दौरान अपीलांट मोके पर उपस्थित हुए। मोका रिपोर्ट तैयार किए जाने की दिनांक 26.03.2025 को स्वयं अपीलांट मोके पर उपस्थित हुए परन्तु अपीलांट ने रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया जिसका अंकन मोका रिपोर्ट दिनांक 20.11.2021 में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को

साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अपीलांट द्वारा मोका रिपोर्ट पर की गई आपत्तियों का विधिवत् रूप से निस्तारण किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मोका रिपोर्ट दिनांक 26.03.2025 सक्षम अधिकारियों द्वारा विधिवत रूप से तैयार करवाई गई है जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की भूमि में से रास्ता कायम किए जाने का निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.04.2025 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खाारिज किए जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.04.2025 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

8. हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रालवी के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों का अवलोकन किया।

हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्गनत प्रार्थना–पत्र में प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण द्वारा स्वयं के खाते की खसरा संख्या 1209 व 1205 की भूमि में आने जाने हेतु रास्ता अपीलांट के खाते की खसरा संख्या 1210 की भूमि में कायम किए जाने का अनुतोष चाहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित रास्ते की मोका रिपोर्ट तलब की गई है जो दिनांक 23.10.2024 एवं 26.03.2025 को तैयार की गई है। दिनांक 23.10.2024 को तैयार की गई मोका रिपोर्ट में अपीलांट के खाते की खसरा संख्या 1210 में मोके पर कोई रास्ते का निशान नहीं होने का अंकन है, अपीलांट के खाते की खसरा संख्या 1210 की भूमि में तारबन्दी होने का अंकन है साथ ही उक्त मोका रिपोर्ट दिनांक 23.10.2024 में प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण की भूमि में आने जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता खसरा संख्या 1208 की उत्तरी मेढ़ या 1206 व 1207 के मध्य की मेढ़ में होने का अंकन किया गया है। उक्त मोका रिपोर्ट दिनांक 23.10.2024 पर अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में आपत्ति प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जाकर कथन किया गया कि मोका रिपोर्ट तैयार किए जाने से पूर्व अपीलांट को सूचित नहीं किया गया, अपीलांट की अनुपस्थिति में मोका रिपोर्ट तैयार की गई है, प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण की भूमि में आने जाने हेतु कोई रास्ता नहीं है। अपने आपत्ति प्रार्थना–पत्र में अपीलांट द्वारा खसरा संख्या 1212 की भूमि में गैर मुमकिन रास्ता विद्यमान होने का कथन किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की ओर से आपत्ति प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने के पश्चात अपने आदेश दिनांक 05.12.2024 के द्वारा पुनः मौका रिपोर्ट तलब की गई जिसकी पालना में दिनांक 26.03.2025 को पुनः मौका रिपोर्ट तैयार की गई। उक्त मोका रिपोर्ट दिनांक 26.03.2025 में भी खसरा संख्या 1210 की भूमि में मोके पर कोई रास्ते का निशान नहीं होने का अंकन है तथा खसरा संख्या 1210 की भूमि पर तारबंदी होने से आना जाना संभव नहीं होने का अंकन

है। उक्त मोका रिपोर्ट दिनांक 26.03.2025 में मोके पर खसरा संख्या 1212 गैर मुमकिन रास्ते की भूमि पर मन्दिर बना होकर चारदीवारी होने का अंकन है तथा खसरा संख्या 1212 के उत्तरी दक्षिणी कोने पर कुछ हिस्सा चारदीवारी के बाहर होने का अंकन है जो मोके पर खाली पड़ी होने तथा प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण की भूमि खसरा संख्या 1209 की उत्तरी पूर्वी मेढ के कोने तक आने का अंकन है। मोका रिपोर्ट दिनांक 26.03.2025 में खसरा संख्या 1212 गैर मुमकिन रास्ते की खाली पड़ी हुई उक्त भूमि गैर मुमकिन रास्ते की खसरा संख्या 1213 की भूमि से लगी होने तथा उक्त भूमि में होकर वैकल्पिक रास्ता होने का भी अंकन किया गया है। अतः हमारे मत में प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण के खाते की खसरा संख्या 1209 की भूमि में आने जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता खसरा संख्या 1213 एवं खसरा संख्या 1212 की खाली पड़ी हुई भूमि में पूर्व से ही विद्यमान होना प्रकट होता है तथा मोका रिपोर्ट दिनांक 26.03.2025 के अनुसार उक्त वैकल्पिक रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज है। मोका रिपोर्ट दिनांक 26.03.2025 एवं दिनांक 23.10.2024 में अंकित नजरी नक्शे के अवलोकन से भी प्रश्नगत खसरा संख्या 1209 की भूमि में आने जाने हेतु वेकल्पिक रास्ता खसरा संख्या 1213 व 1212 की भूमि में विद्यमान होना प्रकट होता है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र में प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण द्वारा अपीलांट के खाते की भूमि खसरा संख्या 1210 में होकर रास्ता चाहा गया है जो पक्की सड़क के लगवां स्थित है। अतः प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण सुविधा की दृष्टि से पक्की सड़क की ओर से अपीलांट के खाते की खसरा संख्या 1210 की भूमि से रास्ता चाहते है। मोका रिपोर्ट दिनांक 26.03.2025 में भी प्रार्थीगण द्वारा अपनी सुविधानुसार रास्ता चाहने का अंकन किया गया है। अतः वैकल्पिक रास्ता खसरा संख्या 1212 व 1213 की भूमि में होकर पूर्व से ही विद्यमान होने की स्थिति में प्रश्नगत मोका रिपोर्ट दिनांक 26.03.2025 में उक्त वैकल्पिक रास्ते एवं प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण द्वारा वांछित रास्ते की स्थिति एवं दूरी का तुलनात्मक रूप से विवेचन किया जाना आवश्यक था। परन्तु प्रश्नगत मोका रिपोर्ट दिनांक 26.03.2025 में वैकल्पिक रास्ते से प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण के खाते की भूमि से दूरी का कोई अंकन नहीं किया गया है, जिससे निकटतम रास्ते के बिन्दु का निर्धारण किया जाना संभव नहीं है। मोका रिपोर्ट दिनांक 26.03.2025 में खसरा संख्या 1212 गैर मुमकिन रास्ते की खाली पड़ी भूमि की मोके पर लम्बाई–चोड़ाई कितनी है, इसका भी अंकन नहीं किया गया है। मोका रिपोर्ट दिनांक 26.03.2025 पर अपीलांटगण को आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया गया है। अतः हमारे मत में प्रश्नगत मोका रिपोर्ट दिनांक 26.03.2025 राजस्थान काश्तकारी सरकारी नियम 1955 के नियम 68 से 70 की पालना में तैयार नहीं किए जाने के कारण त्रुटिपूर्ण है। उक्त त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट दिनांक 26.03.2025 के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 22.04.2025 में प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण के खाते की खसरा संख्या 1209 व 1205 की भूमि में आने जाने हेतु रास्ता अपीलांटगण के खाते की खसरा संख्या 1210 की भूमि में कायम किए जाने का जो आदेश अंकित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वैकल्पिक एवं निकटतम रास्ते के बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए विवादित रास्ते की मोका रिपोर्ट उभयपक्षकारान की उपस्थिति में तैयार करवाई जाकर, मोका रिपोर्ट पर

उभयपक्षकारान को आपत्ति प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाने के उपरांत राजस्थान काश्तकारी सरकारी नियम 1955 के नियम 68 से 70 की पालना में नवीन निर्णय पारित किया जाना आवश्यक है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जान उचित प्रतीत होता है।

9. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा के प्रकरण संख्या 44/2024 (2024/160) में पारित निर्णय 22.04.2025 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विवादित रास्ते की मोका रिपोर्ट उभयपक्षकारान की उपस्थिति में वैकल्पिक रास्ते एवं निकटतम रास्ते के बिन्दु को दृष्टिगत रखते हुए तैयार करवाई जावे। मोका रिपोर्ट पर उभयपक्षकारान को आपत्ति प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर राजस्थान काश्तकारी(सरकारी) नियम, 1955 के नियम 68 से 70 की पालना करते हुए नवीन निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 12.11.2025 को स्वयं उपस्थित रहे।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

11. निर्णय आज दिनांक 08.09.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8/9/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा